ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0– 44/21–22

रोसमेरी मरांडी बनाम् रैयान, मौजा–छोटा बोआरीजोर

21.10.2022

–: आदेश :–

वर्तमान वाद आवेदिका रोसमेरी मरांडी, पति–स्व0 योगानंद सोरेन, सा0–बड़ा बोआरीजोर, थाना व अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–छोटा बोआरीजोर नं0–69 के ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–06 के तहत् प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–626/रा0, दिनांक–08.08.2022 एवं पत्रांक–869/रा0, दिनांक–26.11.2022 द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–छोटा बोआरीजोर नं0–69 प्रधानी मौजा है। प्रासंगिक मौजा के पूर्व प्रधान योगानंद सोरेन की मृत्युपरांत रिक्त प्रधानी पद पर आवेदिका रोसमेरी मरांडी द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है, जो अंतिम ग्राम प्रधान स्व0 योगानंद सोरेन की पत्नी है। आवेदिका रोसमेरी मरांडी को प्रासंगिक मौजा के प्रधान पद पर नियुक्त करने हेतु अनुशंसा की गई है। आवेदिका के आवेदन के विरूद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका रोसमेरी मरांडी, पति–स्व0 योगानंद सोरेन, सा0–बड़ा बोआरीजोर, थाना व अंचल–बोआरीजोर, जिला– गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा– छोटा बोआरीजोर नं0–69 का प्रधान नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त प्रधान रोसमेरी मरांडी, पति–स्व0 योगानंद सोरेन, सा0–बड़ा बोआरीजोर को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित सुरक्षित जमा के आलोक में खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

21.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

21.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.17 14:59:34 +05:30
Location: 192.168.8.116